मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या ४०/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ४९७/२०१४)
तुलसीदास बनाम सुन्दर सिंह आदि
<u>०६.०१.२०२१</u>

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थी/याची तुलसीदास द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका एम.ए.सी.टी./अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय सं. ६, झाँसी द्वारा दिनाँक ३१.०८.२०१९ को निर्णीत की जा चुकी है, जिसके अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी ने क्षतिपूर्ति धनराशि का चेक जमा कर दिया है। न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की गयी है न ही कोई स्थगन आदेश है। अतः प्रार्थी ने याचना की है कि न्यायाधिकरण के आदेशानुसार उसे जमाशुदा धनराशि दिलाए जाने की कृपा की जाए। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र ४सी२, एम.ए.सी.पी. सं. ४९७/२०१४ तुलसीदास बनाम सुन्दर सिंह आदि में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि, अपने आधार कार्ड व बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

प्रार्थी मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा एम.ए.सी.पी. सं. ४९७/२०१४ तुलसीदास बनाम सुन्दर सिंह आदि व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावलियों एवं कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तुलसीदास ने अपने शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है। मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत याचिका में दिनाँक ३१.०८.२०१९ को ₹ ९६,००० मय ७ प्रतिशत साधारण ब्याज हेतु एवार्ड पारित किया गया है, जो धनराशि प्रार्थी को एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से प्राप्त होनी है। कार्यालय आख्या के अनुसार न्यायालय अपर जिला जज, षष्ठम के चेक रजिस्टर के अनुसार दिनाँक ०६.०१.२०२० को सिन्डीकेट बैंक (केनरा बैंक) गोविन्द चौराहा, झाँसी में ₹ १,२९,६१८ जमा होने का इन्द्राज है। प्रार्थी द्वारा अपने बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रति दाखिल की गयी है। अतः मेरे विचार से प्रार्थी प्रकरण में जमाशुदा उपरोक्त धनराशि उक्त न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में अपने बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नकद प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

<u>आदेश</u>

सिन्डीकेट बैंक (केनरा बैंक) गोविन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ४९७/२०१४ (प्रकीर्ण वाद सं. ४०/२०२० तुलसीदास बनाम सुन्दर सिंह आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि मय अब तक अर्जित ब्याज को प्रार्थी को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicat/ Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
Tulsidas	129618	100	Elect. Mode RTGS/NEFT	11470003 10022456	PNB Branch Bijauli, Jhansi	PUNB 0114700
Total	129618	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ.,एम.ए.सी.टी.,झांसी

।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.01.06 13:09:25 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI